फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible] व अन्य

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या [illegible] - 181/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रति ① व ② द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसकी नकल वादी को दिलवाई गई। आज वास्ते बहस प्रा. पत्र O26 R9 Rule हेतु नियत है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी को बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC बाबत आदेश 26 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता मौका स्थिति के संबंध में कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत पर सुनी गई। अप्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रा. पत्र में अंकित कथनों का विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र को तुच्छ बताते हुए वादी द्वारा वर्णित तथ्यों बाबत सोसायटी द्वारा पट्टे जारी किए जाने, विगत व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने आदि का उल्लेख किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। [illegible] आदेश 26 नियम 9 CPC को प्रार्थना [illegible] किया जाता है [illegible] इस आधार पर [illegible] वास्ते मौके [illegible] की [illegible] रही है। [illegible] लगा [illegible] की स्थिति स्पष्ट [illegible]

[signature]
सहायक [illegible] कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukta Rao
Date: 2024.06.28 17:02:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

रामसहाय बनाम कन्हैयालाल वगैरह.

न्यायालय ACJ-II

संख्या 5/17-181/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	Con...	तत्पश्चात न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा कथन किया गया की वादी ने अपने वाद में अनेक तथ्य छुपाये है तथा मलीन हृदय से नही आया है। वादपत्र की मद संख्या 4 में वादी ने कथन किया है की वादग्रस्त की भूमि वादी की कब्जेकाश्त की भूमि है जबकि प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 के जवाब की मद संख्या 1 में वर्णित किया है कि "प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में मिलीभगत, सांठगांठ व षडयंत्र करते हुए बेईमानी पूर्ण तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक से वादी की जमीन को बेचान करने की गरज से, अवैध रूप से कब्जा कर लिया एवं उस पर बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति के भिन्न-भिन्न लोगों को पट्टे बनाकर विक्रय किए जा रहे है तथा उक्त फर्जी पट्टों के आधार पर लोग उक्त भूमि पर काबिज होकर अवैध रूप से मकानों का निर्माण करवा रहे है" इस प्रकार जवाब वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वयं ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर [illegible] 337 आवासीय [illegible] भूमि है यही [illegible] कि उक्त खसरा नंबर को [illegible] लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukta Rao
Date: 2024.06.28 17:02:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

रामसहाय बनाम बद्रीनारायण को.

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या SWA-181/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		मे कृषि भूमी नही है। इसके और वादी ने अपने वाद मे खसरा नंबर 337 की भूमी को स्वयं की पड़त कृषि भूमी संबोधित करते हुए प्रतिवादी द्वारा जबरन अतिक्रमण करने का कथन करते हुए यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है बेदखली बाबत वाद प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे साफ जाहिर होता है कि वादी ने उक्त वाद मलीन हृदय से प्रस्तुत नही किया है। इसके प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (गूगल नक्शा, सहकारी समिति के पट्टे इत्यादि) का भी अवलोकन किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयो मे प्रतिपादित किया है कि ऐसे वाद जो मलीन हृदय से प्रस्तुत नही किए गए है और तुच्छ श्रेणी के है उन्हे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयो के अनुसरण मे उक्त वाद तुच्छ श्रेणी का होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास सुनाया गया। सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukta Rao
Date: 2024.06.28 17:02:54 IST
Reason: SelfAttested

1

न्यायालय सहायक कले

जयपुर शहर ज

राजस्व वादपत्र संख्या 181 / 2023

रामसहाय पुत्र रामपाल शर्मा, उम्र– वर्ष,

तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र धन्नालाल
2. रामावतार मीणा पुत्र बद्रीनारायण

समस्त जाति मीणा, निवासीगण–

सांगानेर जिला जयपुर।

3. सरकार जरिये तहसीलदार सां

दावा बाबत

अन्तर्गत धारा 92 क, 188

श्रीमानजी,

वादी की ओर से वाद–पत्र नि

1. यह कि वादी की खातेदारी

165 खसरा नंबरान् 284 रक

रकबा 0.25 हैक्टेयर, 287

हैक्टेयर एवं 337 रकबा

Scanned with OKEN Scanner